

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवीकर गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष 10 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना मौदहा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 498/2019 धारा**— **2(बी)(1)/3 गैंगस्टर0 एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0न्यायालय एफटीसी प्रथम**/ **जीएसटी कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **रामशंकर श्रीवास पुत्र उदयभान श्रीवास** नि0 कुम्हरौड़ा इलाही तालाब कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर **04 वर्ष 10 माह व ₹5,000 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी श्री सुशील कुमार



विवेचक-निरी0 मिथलेश कुमार सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा का0 शुभम यादव